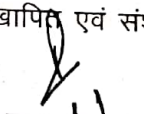
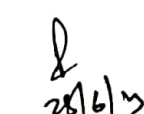


न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
पी०ए० अपील वाद सं०-०३/२०२३

सादीन सोरेन
बनाम
नीमोती हॉसदा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद, अपीलकर्ता सादीन सोरेन, पिता-स्व० समीएल सोरेन, सा०-रानीपुर, थाना-महेशपुर (रहीपुर ओ०पी०), जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी०ए० वाद सं०-६१/२००६-०७ (साथ में पी०ए० वाद सं०-०६/२०२०-२१, पी०ए० वाद सं०-०९/२०२०-२१ एवं पी०ए० वाद सं०-३१/२०२२-२३ संलग्न) में दिनांक-०६.०५.२०२३ को पारित आदेश के विरुद्ध (१) झारखण्ड राज्य (२) नीमोती हॉसदा, पति-मुस्लीम उर्फ मोरसलीम सोरेन, सा०-रानीपुर, थाना-महेशपुर ओ०पी०, जिला-पाकुड़ (३) मुस्लीम उर्फ मोरसलीम सोरेन, पिता-स्व० नोरेन सोरेन, सा०-रानीपुर, थाना-महेशपुर ओ०पी०, जिला-पाकुड़ (४) जोगेश सोरेन, पिता-स्व० गोपीन सोरेन, सा०-रानीपुर, थाना-महेशपुर ओ०पी०, जिला-पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। वाद अंगीकरण के बिन्दू पर अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। अपीलकर्ता का कहना है कि मौजा-रानीपुर एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त पट्टाधारी ग्राम प्रधान स्व० मोजेस सोरेन थे। जिनकी मृत्यु दिनांक-१०.०९.२०१९ को हो गई है। अपीलकर्ता अंतिम प्रधान के चचेरा भाई है। निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से नीमोती हॉसदा (उत्तरवादी सं०-०२) को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान SPT Act 1949 की धारा ६ के तहत नियुक्त किया गया। नीमोती हॉसदा के द्वारा अपने पति के भाई मोरसलीम सोरेन के साथ दूसरी शादी कर ली गई एवं निम्न न्यायालय में अपना दावा वापस ले लिया गया था। संधाल कस्टमरी लॉ के अनुसार पत्नी वंशानुगत आधार पर अपना दावा नहीं कर सकती है। केवल पुत्र एवं घरजमाई पुत्री ही वंशानुगत आधार पर अपना दावा कर सकती है। दावा वापस ले लिए जाने के बाद भी निम्न न्यायालय द्वारा नीमोती हॉसदा को धारा ६ के तहत ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया, जो कानून की नजर में गलत है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। निम्न न्यायालय	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कॉपी टिप्पणी
1		
	द्वारा पारित आदेश का गहन विश्लेषण किया गया। प्रश्नगत मौजा रानीपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान मोजेस सोरेन थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। निमोती हॉसदा अंतिम प्रधान की पत्नी थी, जिनके द्वारा मोजेस सोरेन के भाई मोरसलीम सोरेन अर्थात् अपने देवर के साथ दूसरी शादी कर ली गई। SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत दावा वंशानुगत आधार पर किया जाता है। पत्नी वंशानुगत दावे के अन्तर्गत नहीं आ सकती है। केवल पुत्र अथवा घरजमाई रीति से व्याहता पुत्री ही वंशानुगत आधार पर अपना दावा कर सकती है। अपीलकर्ता का भी वंशानुगत आधार पर दावा नहीं बनता है। निम्न न्यायालय द्वारा निमोती हॉसदा को अंतिम प्रधान का Direct Line का उत्तराधिकारी मानते हुए SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर कर दी गई, जो विधि विरुद्ध है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-08.05.2023 को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि Thakur Hembrom Vrs State of Bihar & others में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए पहले SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत दिए गए दावे का निष्पादन करेंगे तथा धारा 6 के तहत किए गए दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए 60 दिनों के अन्दर मामले का निष्पादन करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित।  उ. पी. सिंह, पाकुड़।  उ. पी. सिंह, पाकुड़।	

CMSON 23051